उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2016 ई0

सं0 F—9(4) (IV)/आरजी/यूईआरसी/2016/1111—विद्युत अधिनियम, 2003 की घारा 181 एवं 42 की उपधारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004 (प्रधान विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन-
 - (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बर्ड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 होगा।
 - (2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रधान विनियम के नियम 3 में उपनियम-9 के उपरान्त उपनियम-9(a) में निम्नानुसार जोड़ा जायेगा—
 "9(a) ऑम्बड्समैन कार्यालय के कार्मिकों की सभी सेवा शर्तें उविनिआ (कार्मिकों की भर्ती नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2016 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के द्वारा नियंत्रित होंगी।"

आयोग के आदेश से, नीरज सती, सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

NOTIFICATION

October 07, 2016

No. F-9(4)(IV)/RG/UERC/2016/1111--In exercise of the powers conferred on it by sub-section 6 and 7 of Section 42 and Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after publication, the Commission hereby proposes the following Regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Appointment & Functioning of Ombudsman) Regulations, 2004 (Principal Regulations) namely:

- 1. Short title and Commencement an Interpretation:
 - (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Appointment & Functioning of Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2016.
 - (2) These Regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Sub-Regulation 9(A) shall be inserted after sub-Regulation 9 of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

"9(A) All the terms and conditions of service of the staff of the Ombudsman shall be governed by the UERC (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2016 as amended from time to time."

By Order of the Commission,
NEERAJ SATI,
Secretary,
Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.